भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई – 400 001

निविदा सूचना

बैंक की तिमाही गृह पत्रिका "विदाउट रिज़र्व (डबल्यूआर)" डिजाइन करना
01 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए पैनल बनाना और 01 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 की अवधि हेतु उक्त पत्रिका के चार अंकों को डिजाइन करने के लिए मूल्य बोली

मानव संसाधन प्रबंध विभाग (मासंप्रवि), केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), 20वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001, बैंक की तिमाही गृह पत्रिका 'विदाउट रिज़र्व (डबल्यूआर)' को डिजाइन करने और 01 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2027 की अवधि के लिए पैनल बनाने और 01 अप्रैल 2024 - 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए उक्त पत्रिका के चार अंकों को डिजाइन करने हेतु मूल्य बोली के लिए **मुंबई महानगर क्षेत्र और नवी मुंबई स्थित पात्र, प्रतिष्ठित डिजाइनरों से ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बोलियां** आमंत्रित करता है।

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक मुद्रक डिजाइनर निविदा दस्तावेज के अनुसार अपनी बोलियां ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट (https://rbi.org.in) और एमएसटीसी की वेबसाइट http://www.mstcecommerce.com/eprochome/RBI से डाउनलोड किया जा सकता है। **निविदा दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा।** शुद्धिपत्र या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, केवल उपर्युक्त वेबसाइटों पर ही जारी किया जाएगा।

बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: 12 मार्च 2024, 1200 बजे

यह एक सीमित निविदा पूछताछ है। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे भाग लेने से पहले इस निविदा के लिए अपनी पात्रता के बारे में आरबीआई से पता कर लें।

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
मासंप्रवि, आरबीआई केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) की संपत्ति है। इसे रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना, उक्त उद्देश्य के लिए आरबीआई को प्रत्युत्तर देने के प्रयोजन को छोड़कर, किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा पर कॉपी, वितरित या दर्ज नहीं किया जाए। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि प्राधिकृत कार्मिकों/एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी, कड़ाई से निषिद्ध है और ऐसा करना कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और भारतीय कानून(क़ानूनों) के तहत दंडनीय होगा।